भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1713

उत्तर देने की तारीख 16 मार्च, 2022

बुधवार, 25 फाल्गुन, 1943 (शक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत अभ्यर्थी

1713 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 3.0 के अंतर्गत नामांकन कराने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) नामांकन कराने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें अब तक कथित तौर पर नियुक्त/नियोजित किया गया है;

(ग) पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 1.0 में कुल नामांकित अभ्यर्थियों की तुलना में नियुक्ति का अनुपात कम अर्थात क्रमश: 18.2 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत होने के लिए चिन्हित किए गए कारणों का तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रतिधारण संबंधी आंकड़े (नौकरी शुरू होने की तारीख से 3 या 6 महीने बाद भी नौकरी में बने रहना) एकत्रित किए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चन्द्रशेखर)

(क) कुशल भारत मिशन के अंतर्गत, मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई 1.0 और 2.0 के कार्यान्वयन से मूल्यांकन अध्ययनों और अनुभव के आधार पर दिनांक 15.01.2021 को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), यानी पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-21) का एक संशोधित संस्करण प्रारम्भ किया है। पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत, उम्मीदवारों के सूचित विकल्पों/आकांक्षाओं को प्राथमिकता दी गई है और यह उम्मीदवारों को स्थानीय नौकरियों के साथ स्थानीय कौशल चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है।

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान के बावजूद, दिनांक 31.12.2021 तक, पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत 4.98 लाख उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है, जिनमें से 4.45 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

(ख) पीएमकेवीवाई के दो प्रशिक्षण घटक नामत: अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) हैं। पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि आरपीएल नियोजन से सम्बद्ध नहीं है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को मान्यता प्रदान करता है। पीएमकेवीवाई 3.0 - एसटीटी के तहत, 75,333 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है; जिनमें से 15,450 उम्मीदवारों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन प्रदान किया गया है।

(ग) पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि आरपीएल नियोजन से सम्बद्ध नहीं है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को मान्यता प्रदान करता है।

पीएमकेवीवाई 1.0 के तहत नियोजन की निगरानी करना अनिवार्य नहीं था। प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार, 13.32 लाख एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों में से 2.54 लाख उम्मीदवारों को नियोजन प्रदान किया गया, जो लगभग 19% था। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत, 39.8 लाख एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों में से 21.01 लाख उम्मीदवारों को नियोजित किया गया, जो लगभग 52.79% था।

पीएमकेवीवाई के अल्पावधि प्रशिक्षण के तहत नियोजन में वृद्धि करने के लिए, नियोजन को प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान के साथ सम्बद्ध किया जाता है। अंतिम किस्त, यानी कुल भुगतान का 30 प्रतिशत उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित करने पर ही प्रशिक्षण प्रदाताओं को वितरित किया जाता है। साथ ही, संभावित नियोक्ताओं के साथ उम्मीदवारों को सीधे सम्बद्ध करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 1.0 (2015-16) और 2.0 (2016-20) के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर, स्कीम की दिशा को पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत आपूर्ति संचालित से मांग संचालित करने की ओर परवर्तित कर दिया गया है। क्षेत्रीय/स्थानीय स्तर पर प्रचलित जॉब रोलों की मांग को बढ़ावा देने के लिए मांग संचालित और बॉटम-अप एप्रोच का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, उम्मीदवारों के सूचित विकल्पों/आकांक्षाओं को प्राथमिकता दी गई है जिसका उद्देश्य स्वरोजगार को भी समर्थन देना है। यह स्कीम उम्मीदवारों को स्थानीय नौकरियों के साथ स्थानीय कौशल का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का भी समर्थन करती है।

मंत्रालय ने आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मैपिंग (असीम) पोर्टल भी प्रारम्भ किया है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर सभी स्कीमों में स्किल इंडिया पोर्टल (सिप) के तहत पंजीकृत और प्रमाणित कुशल कार्यबल की केंद्रीय निर्देशिका के रूप में कार्य करता है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, पीएमकेवीवाई स्कीम के तहत 3 या 6 महीने के बाद रोजगार में बने रहने वाले उम्मीदवारों के नियोजन प्रतिधारण आंकडों का रख-रखाव करने का कोई प्रावधान नहीं है।

****